14/5/18

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. में दिए गए नोटिस के जवाब में न्यायालय में विचाराधीन है। मामले आज दिनांक को प्रकरण की जानकारी ली गई। प्रथम दृष्टया मामला, आवश्यकीय शर्तों व प्रतिबंध का विपक्षीगण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से वांछित प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार किए जाने लायक है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner